राष्ट्रीय अध्यापक आयोग

(National Commission of Teachers)

स्वतंत्र भारत में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार शिक्षक को माना गया है। समय के साथ यह अनुभव किया गया कि केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन से शिक्षा में सुधार संभव नहीं है, जब तक कि शिक्षक शिक्षा, प्रशिक्षण, चयन तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान न दिया जाए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय शिक्षक आयोग का गठन किया।

- **आयोग-I:** स्कूली शिक्षकों के लिए।
- **आयोग-II:** उच्च शिक्षा (तकनीकी शिक्षा सहित) के लिए।

राष्ट्रीय अध्यापक आयोग (1983)

(National Commission on Teachers-I)

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग, 1983 (जिसे चट्टोपाध्याय आयोग के नाम से भी जाना जाता है) की स्थापना भारत सरकार द्वारा शिक्षकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, कार्यशैली और शिक्षा में उनकी भूमिका को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। आयोग ने 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका शीर्षक "शिक्षक और समाज" (The Teacher and Society) था।

जाँच के प्रमुख विषय (Key Areas of Inquiry):

1. शिक्षक चयन (Teacher Selection): प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु योग्यता और रुचि जैसे मानदंड निर्धारित करना.
2. शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Training): सेवा-पूर्व और सेवा-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार.
3. व्यावसायिक विकास (Professional Development): शिक्षकों के व्यावसायिक उत्थान के लिए नीतियाँ बनाना.
4. कार्य-दशाएँ और वेतनमान (Working Conditions & Pay Scales): शिक्षकों के वेतन, भत्तों और काम करने के माहौल को बेहतर बनाना.
5. राष्ट्रीय विकास में भूमिका (Role in National Development): राष्ट्रीय विकास में शिक्षकों के महत्व और योगदान पर विचार करना.

आयोग के मुख्य उद्देश्य

- शिक्षकों के लिए एक उपयुक्त वेतनमान (Pay Scale) और सेवा शर्तों की रूपरेखा तैयार करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Training) कार्यक्रमों की समीक्षा करना और उनमें सुधार लाना।
- समाज में शिक्षकों की गरिमा और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना।
- शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाना।

प्रमुख सिफारिशें (Recommendations)

1. शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Training)

- अवधि में वृद्धि: प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष करने का सुझाव दिया गया। माध्यमिक शिक्षकों के लिए, 4 साल का एकीकृत (Integrated) पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की गई।
- प्रशिक्षण का नवीनीकरण: शिक्षकों के लिए समय-समय पर 'इन-सर्विस' (सेवाकालीन) प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि वे नई शिक्षण विधियों से अवगत रहें।
- इंटर्नशिप: शिक्षण अभ्यास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इंटर्नशिप मॉडल अपनाने और व्यावहारिक अनुभव पर जोर दिया गया।
- एकीकृत पाठ्यक्रम: 4 वर्षीय एकीकृत (Integrated) बी.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया गया।

2. शिक्षकों का चयन और भर्ती (Recruitment)

- योग्यता आधारित चयन: शिक्षकों की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र 'अध्यापक चयन आयोग' (Teacher Selection Commission) का गठन किया जाए।
- राष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test) का सुझाव दिया गया।
- नए शिक्षकों के लिए कम से कम 2 वर्ष की परिवीक्षा (Probation) अवधि रखने की सिफारिश की गई।
- चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार (Interview) और कक्षा शिक्षण का प्रदर्शन शामिल होना चाहिए।

3. वेतन और सेवा शर्तें (Salary and Service Conditions)

- समान वेतनमान: पूरे देश में शिक्षकों के लिए एक समान और सम्मानजनक वेतनमान (Uniform Pay Scales) लागू करने की सिफारिश की गई।

- पदोन्नति (Promotion): शिक्षकों के लिए करियर विकास के पर्याप्त अवसर होने चाहिए। बेहतर प्रदर्शन और कार्यक्षमता करने वाले शिक्षकों को उच्च वेतनमान और पदोन्नति मिलनी चाहिए।
- कल्याणकारी योजनाएं: शिक्षकों के लिए आवास, चिकित्सा सुविधा और बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष भत्ते प्रदान करने का सुझाव दिया गया।
- रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी और चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान हो।

4. कार्य वातावरण (Working Environment)

- बुनियादी सुविधाएं: स्कूलों में शिक्षकों के बैठने के लिए उचित स्थान, पुस्तकालय और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- कार्यभार: शिक्षकों पर शिक्षण के अलावा गैर-शैक्षणिक कार्यों (जैसे जनगणना या चुनाव ड्यूटी) का बोझ कम करने की सिफारिश की गई।
- स्कूली वातावरण में सुधार और शिक्षकों के लिए आवास की सुविधा।
- महिला शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते और सुरक्षा के उपाय।

5. शिक्षक संहिता (Code of Ethics)

आयोग ने शिक्षकों के लिए एक 'आचार संहिता' (Code of Conduct) विकसित करने का सुझाव दिया ताकि शिक्षण पेशे की गरिमा और जवाबदेही बनी रहे।

6. अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें

- महिला शिक्षक: प्राथमिक स्तर पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- विशेषज्ञ समितियां: राज्य स्तर पर 'शिक्षक शिक्षा बोर्ड' (Board of Teacher Education) की स्थापना का सुझाव दिया गया।

निष्कर्ष:

चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि "राष्ट्र का भविष्य उसके शिक्षकों पर निर्भर करता है।" इसकी कई सिफारिशों को बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) 1986 में शामिल किया गया था।

उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-II (1985)

National Commission On Teachers In Higher Education-II

भारत सरकार ने 1983 में दो राष्ट्रीय शिक्षक आयोगों की स्थापना की। 'आयोग-II' को विशेष रूप से **उच्च शिक्षा** के शिक्षकों की समस्याओं और उनकी कार्यकुशलता पर विचार करने का कार्य सौंपा गया था। इसके अध्यक्ष **प्रो. डी.पी. चट्टोपाध्याय** थे।

आयोग के उद्देश्य

आयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे—

- उच्च शिक्षा में शिक्षकों की **भूमिका, स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन**
- शिक्षक-शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सुधार
- शिक्षकों की **नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा-शर्तों** में सुधार
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु **नीतिगत सुझाव** देना

उच्च शिक्षा (Teachers in Higher Education) के लिए प्रमुख सिफारिशें

1. शिक्षकों का चयन और भर्ती प्रक्रिया (Selection & Recruitment):

- आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा में नियुक्ति के लिए केवल एम.ए. पास होना पर्याप्त नहीं है। एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होनी चाहिए ताकि पूरे देश में शिक्षकों का मानक एक समान हो।
- योग्यता पर जोर: पीएचडी (Ph.D) को शोध कार्य के लिए अनिवार्य बनाने और केवल मेधावी व्यक्तियों को ही इस पेशे में लाने की बात कही गई।

2. सेवाकालीन प्रशिक्षण (In-Service Training):

- शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों से परिचित कराने के लिए 'अकादमिक स्टाफ कॉलेज' (Academic Staff College) खोलने की सिफारिश की गई।
- प्रत्येक शिक्षक के लिए निश्चित अंतराल (5-7 वर्ष) पर ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य बताया गया।

3. वेतन, सेवा शर्तें और पदोन्नति (Pay, Service Conditions & Promotion)

आयोग का मानना था कि यदि शिक्षक आर्थिक रूप से कमजोर होगा, तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान नहीं दे पाएगा। अतः, आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षकों के वेतन को प्रशासनिक अधिकारियों (जैसे IAS) के समकक्ष लाया जाना चाहिए ताकि समाज में उनका सम्मान बढ़े।

- आयोग ने शिक्षकों के वेतनमान में सुधार का सुझाव दिया गया (उस समय PG टीचर के लिए लगभग ₹1000/माह).
- विश्वविद्यालयों में व्याख्याता, रीडर और प्रोफेसर जैसी तीन श्रेणियाँ होनी चाहिए, और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष हो, लेकिन प्रोफेसरों को 64 वर्ष तक सेवा विस्तार मिल सके.

4. पदोन्नति के अवसर (Career Advancement):

- आयोग ने कहा कि पदोन्नति (Promotion) केवल वरिष्ठता (Seniority) के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता और योगदान के आधार पर होनी चाहिए।
- शिक्षकों के लिए 'कैरियर एडवांसमेंट स्कीम' (CAS) की रूपरेखा तैयार की गई ताकि वे एक ही पद पर लंबे समय तक न रुके रहें।

5. UGC और गुणवत्ता नियंत्रण (UGC & Quality Control)

1. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा निरंतर निगरानी रखने की सिफारिश की गई.

2. डिग्री परीक्षाओं और मूल्यांकन में अखिल भारतीय स्तर पर एकरूपता लाने पर जोर दिया गया.

6. व्यावसायिक आचार संहिता (Code of Professional Ethics):

- यह आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी। आयोग ने कहा कि शिक्षकों को स्वयं के लिए एक '**आचार संहिता**' बनानी चाहिए।
- इसमें समय की पाबंदी, छात्रों के प्रति निष्पक्षता और निजी ट्यूशन से दूरी बनाने जैसे बिंदु शामिल थे।

7. शोध और अध्ययन के लिए अवकाश (Study Leave):

- शिक्षकों को अपने ज्ञान को बढ़ाने और शोध कार्य पूरा करने के लिए 'सबाटिकल लीव' (Sabbatical Leave) या सवेतन अध्ययन अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए।

8. शिक्षक की भागीदारी और स्वायत्तता (Autonomy):

- विश्वविद्यालय के प्रशासनिक निकायों (जैसे एकेडमिक काउंसिल) में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए।
- शिक्षकों को शिक्षण की नई विधियां खोजने और पाठ्यक्रम में सुधार करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

9.पुस्तकालय और संसाधन (Library & Resources)

प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेज में बड़े पुस्तकालय और प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारियों की आवश्यकता पर बल दिया गया.

निष्कर्ष (Conclusion):

निष्कर्षतः, चट्टोपाध्याय आयोग (1985) ने शिक्षक को समाज के "बौद्धिक नेतृत्व" के रूप में देखा। आयोग का मानना था कि जब तक शिक्षकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक देश की उच्च शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता। चट्टोपाध्याय आयोग (1985) ने उच्च शिक्षा के हर पहलू में सुधार, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रस्तुत किया. इसकी कई सिफारिशों को **1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति** में शामिल किया गया।